संख्या-01/2016/197/84-1-16-2-सीपी/2007

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी]
अनु सचिव]
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 17 मार्च, 2016

विषय- जिला फोरमों के सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता फोरमों के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-4228/एस.सी.डी.आर.सी.यू;पी;/के;स-1@2007 दिं0 11-12-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला उपभोक्ता फोरम संतकबीरनगर, बागपत, मैनपुरी, इटावा, सिद्धार्थनगर एवं ललितपुर हेतु भारत सरकार के शासनादेश सं0-4(2)/2010-सीपीयू(वीओएल-।।) दिं0 11-03-2013 द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची में दिये गये विवरण के अनुसार उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिं0 के पत्रांक 9159/क्यू एफ/सिविल/टी दिं0 16-02-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्न आगणन के अनुसार उक्त जिला फोरमों के भवन निर्माण हेतु रू0 6,95,10,000/- (प्रति जिला फोरम रू0 1,15,10,000/-) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़) मात्र की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु स्वीकृत की जा रही है।
(2) धनराशि का उपयोग करते समय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों स्थायी आदेशों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि को पी0एल0ए0 व बैंक एकाउण्ट में नहीं रखा जायेगा तथा धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा ।
(4) जिला फोरमों के भवन निर्माण हेतु संलग्न आगणनो में दर्शायी गई दर/मात्रा का भवन निर्माण में सुनिश्चित कराने का दायित्व कार्यदायी संस्था उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिं0 एवं निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का होगा।
(5) निबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु प्रदेश सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना में धनराशि प्राप्त न की गई हो और न ही किसी अन्य योजना में स्वीकृति हेतु सम्मिलित करते हुए शासन को संदर्भित किया गया हों।
(6) निबन्धक का यह दायित्व होगा कि जनपदों में उपलब्ध भूमि विभाग के कब्जे में हो तथा निर्विवाद हो।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राज्य उपभोक्ता आयोग तथा जिला फोरमों का भवन निर्माण-08-जिला उपभोक्ता फोरम भवन निर्माण-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-3-2015 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-01/2016/197(1)/84-1-16-2-सीपी/2007 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिं0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
8- उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-01/2016/197(1)/84-1-16-2-सीपी/2007 दिनांक 17 मार्च, 2016 का संलग्नक

(धनराशि रूपये में)

जिला फोरम का नाम	भा0स0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन में निहित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
संतकबीरनगर	10,00,000	1,15,85,000	10,00,000
ललितपुर	28,00,000	1,15,85,000	21,00,000
बागपत	10,00,000	1,15,85,000	10,00,000
मैनपुरी	10,00,000	1,15,85,000	10,00,000
इटावा	28,00,000	1,15,85,000	28,00,000
सिद्धार्थनगर	28,00,000	1,15,85,000	21,00,000
योग-	1,14,00,000	6,95,10,000	1,00,00,000

(रूपये एक करोड मात्र)

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।